

महोदय,

मेरे द्वारा दिनांक 24.09.2022 को गाजियाबाद जाने के लिए सरकारी वाहन संख्या UP70AJ-2010 से जाने हेतु अनुमति पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त अनुक्रम में कुल 358 किमी. की निजी यात्रा की गयी, जिसमें से 200 किमी. छूट माह सितम्बर 2022 में काटने के उपरान्त 158 किमी. का किराया मु.व. 03 रुपये प्रति किमी. की दर से कुल 474/- रुपये भारतीय स्टेट बैंक में दिनांक 30.09.2022 को चालान संख्या IU00030 से जमा कर दिये गये हैं।

जमा की गयी धनराशि के बैंक चालान की प्रति संलग्न है।

कोषागार प्रपत्र - 209(1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या 43ए(1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)

संख्या के नाम धनराशि जमा की

जा रही है उसका नाम

2. पता

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या  
(यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण  
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग  
के पक्ष में जमा की जा रही है)

5. चालान की सकल राशि

6. चालान की निबल राशि

7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की

मुहर :

8. लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट का कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक

उप मुख्य-शीर्षक

लघु-शीर्षक

उप-शीर्षक

व्योरेवार शीर्षक

धनराशि अंकों में

0070

60

800

05

0000

Rs 474/-

धनराशि (शब्दों में) रुपये चार सौ चौदह मात्र

योग

Rs 474/-

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले  
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

प्रधान विभागीय अधिकारी  
परिवार न्यायालय मथुरा

जमाकर्ता के नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या : .....

अंकों में रु०

शब्दों में रु०

दिनांक : .....

IU00030

प्राप्त किया  
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/  
बैंक की मुहर सहित